

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 2011/माध 19, 1932

No. 260]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 2011/MAGHA 19, 1932

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

## आदेश .

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2011

का.आ. 302(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1268(अ) तारीख 19 मई, 2009 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन 31 दिसम्बर, 2010 की अवधि के लिए किया था :

और केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संख्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) प्राधिकरण का पुनर्गठन, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 31 दिसम्बर, 2011 तक के लिए करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :--

सचिव 1. - अध्यक्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय: नई दिल्ली । निदेशक 2. - सदस्य राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा ! मुख्य टाऊन प्लानर, 3. - सदस्य टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आर्गनाईजेशन, गोवा सरकार । सदस्य या कोई समतुल्य रैंक का अधिकारी 4. - सदस्य केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नर्ड दिल्ली ।

5.	संयुक्त सचिव, (पर्यटन) या उसका प्रतिनिधि,	- सदस्य
	पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली ।	
6.	महानिदेशक (मत्स्य),	- सदस्य
	कृषि मंत्रालय,	
7.	नई <b>दिल्ली ।</b> डा. रा <b>मचन्द्रन रमेश</b>	- सदस्य
	समुद्र प्रबंध संस्थान,	
	अन्ताः विश्वविद्यालय, चेन्नई ।	
8.	अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद का एक प्रतिनिधि ।	- सदस्य
9.	प्रो. एस रामचन्द्रन,	- सदस्य
	उप कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय,	
	चेपक, चेन्नई - 600 005 1	
10.	डा. एम. बाबा,	- सदस्य
	कार्यकारी निदेशक,	
	पृथ्वी प्रमाली विज्ञान और जलवायु उच्च प्रशिक्षण केन्द्र	
	भारतीय उष्ण कटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान, डॉ.होमी भाभा रोड, पाशन,	
	पुणे - <b>411008</b> ।	
11.	श्री बी. विवेकानंदन,	- सदस्य
	साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ फिशरमेन सोसाइटीज,	11414
	करमना, त्रिवेंद्रम - 695 002 l	
12.	संयुक्त सचिव/ सलाहकार	- सदस्य सचिव
	प्रभारी, तटीय जोन <b>प्रबंध ।</b>	

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

- (i) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का समन्वय करना।
- (ii) राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों से प्राप्त तटीय जोन प्रबंध योजनाओं में तटीय विनियम जोन क्षेत्रों के वर्गीकरण में परिवर्तन और उपांतरणों के प्रस्तावों का परीक्षण करना और उसके लिए केन्द्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ।
- (iii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के उल्लंघन के मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना ।
- (ख) मामलों की स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी व्यष्टि या प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उप-पैरा (iii) (क) के अधीन मामलों का पुनर्विलोकन करना ।
- (iv) उप-पैरा (iii) (क) के अधीन जारी किए गए निदेश का अनुपालन न होने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना ; और

(v) उप-पैरा (i), (ii) और (iii) से उद्भूत मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

III. प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सरकार या प्रशासन, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों, संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं या संगठनों को तटीय पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार से संबंधित विषयों में यदि वह पाता है कि यह आवश्यक है,तो तकनीकी सहायता देगा और उनका मार्गदर्शन करेगा

IV. प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों तथा संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा दिए गए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजना एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाओं और उनमें उपांतरणों की परीक्षा करेगा और उनका अनुमोदन करेगा।

V. प्राधिकरण, अंगीकृत करने के लिए साधारण योजना दिशानिर्देशों को परिचालित कराएगा जिसमें सामान्यतया मामला दर मामला जांच की आवश्यकता को दूर किया जा सके ताकि वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा की गई परीक्षा के आधार पर अधिकांश माग के लिए अनुमोदन प्रदान करने में सक्षम हो सके।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियम जोन प्रबंध से संबंधित विषयों में, केन्द्रीय सरकार को नीति, योजना, अनुसंधान और विकास, उत्कर्ष और वित्तपोषण केन्द्र स्थापित करने में सलाह दे सकेगा ।

VII. प्राधिकरण, तटीय विनियम जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

VIII. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों और राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों तथा संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों के क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

IX. प्राधिकरण अपनी बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त से संबंधित सूचना को इंटरनेट वेबसाइट www. envfor.nic.in सहित पब्लिक डोमेन पर डालेगा और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति के प्रदर्शन के लिए प्रावधान करेगा।

X. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

XI. प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा ।

XII. इस प्रकार पुर्नगठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकरणों द्वारा निपटाया जाएगा ।

> [फा. सं. जे-17011/18/1996-आईए-III] डॉ. निलनी भट्ट, वैज्ञानिक "जी"

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS ORDER

New Delhi, the 8th February, 2011

S.O. 302(E).—WHEREAS by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1268(E), dated the 19<sup>th</sup> May, 2009, the Central Government constituted the National Coastal Zone Management Authority for a period upto the 31<sup>st</sup> December, 2010;

AND WHEREAS, the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby reconstitutes the National Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons with effect from the date of publication of this Order to the 31st December, 2011, namely:

- Secretary Chairman
   Ministry of Environment and Forests,
   New Delhi.
- Director,

   National Institute of Oceanography,
   Goa.
   Member
- 3. Chief Town Planner, Member
  Town and Country Planning Organization,
  Government of Goa.
- Member or an Officer of an equivalent rank
   Central Groundwater Board,
   New Delhi.
- Joint Secretary (Tourism), or his representative Member Ministry of Tourism, New Delhi.

Director General (Fisheries) Ministry of Agriculture, New Delhi.

- Member

Dr. Ramchandran Ramesh, - Member Institute of Ocean Management, Anna University, Chennai.

- A representative from Space Application Centre Member Ahmedabad.
- Prof. S. Ramachandran, Vice Chancellor, University of Madras, Chepauk, Chennai - 600 005.

- Member

- Member

10. Dr. M. Baba, Executive Director, Advanced Training Centre for Earth system Sciences & Climate, Indian Institute of Tropical Meteorology, Dr. Homi Bhabha Road, Pashan, Pune- 411 008.

11. Shri V. Vivekanandan, - Member South Indian Federation of Fishermen Societies. Karamana, Trivandrum - 695 002.

Joint Secretary/ Adviser, In-charge of Coastal Zone Management.

- Member Secretary

- The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas, namely:
  - co-ordination of actions by the State Coastal Zone Management Authorities and the Union territory Coastal Zone Management Authorities under the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act;
  - examination of the proposals for changes modifications in classification of coastal zone areas and in the coastal zone management plans received from the State Coastal Zone Management Authorities and the Union territory Coastal Zone Management Authorities and making specific recommendations to the Central Government therefor:

- (iii) (a) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary, issue directions under section 5 of the said Act;
  - (b) review of cases under sub-paragraph (iii) (a) either suo-moto, or on the basis of complaint made by an individual or a representative body, or an organisation functioning in the field of environment;
- (iv) file complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraph (iii) (a); and
- (v) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i), (ii) and (iii).
- III. The Authority shall provide technical assistance and guidance to the concerned State Government, Union territory Governments or Administrations, the State Coastal Zone Management Authorities, the Union territory Coastal Zone Management Authorities, and other institutions or organisations as may be found necessary, in matters relating to the protection and improvement of the coastal environment.
- IV. The Authority shall examine and accord its approval to area specific management plans, integrated coastal zone management plans and modifications thereof submitted by the State Coastal Zone Management Authorities and Union territory Coastal Zone Management Authorities.
- V. The Authority shall put in place a general planning guideline to be adopted which will ordinarily obviate need for case-by-case examination, enabling it to accord approvals for the most part on the basis of the examination done by the State/Union Territory Coastal Zone Management Authorities.
- VI. The Authority may advise the Central Government on policy, planning, research and development, setting up of centres of excellence and funding, in matters relating to coastal regulation zone management.
- VII. The Authority shall deal with all environmental issues relating to coastal regulation zone which may be referred to it by the Central Government.

- VIII. The Authority shall furnish report of its activities and the activities of the State Coastal Zone Management Authorities and Union territory Coastal Zone Management Authorities at least once in six months to the Central Government.
- IX. The Authority shall place information regarding the agenda and minutes of its meetings in the public domain, including through Internet website <a href="www.envfor.nic.in">www.envfor.nic.in</a>, and shall create provision for displaying of status of proposals received from State and Union Territories.
- X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- XI. The Authority shall have its headquarters at New Delhi.
- XII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so re-constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. J-17011/18/1996-IA-III]
Dr. NALINI BHAT, Scientist "G"